न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 58/2023 (उदयपुर डिक्री)

अनुराधा पुत्री नारायणलाल डांगी पत्नी भेरूलाल जी डांगी, निवासी 37, उदय निवास, ग्राम लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. जान्हवी कुमारी पुत्री श्री महाराज शक्तिसिंह राजपूत, निवासी टाईगर हिल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. महाराज शक्तिसिंह पुत्र स्वर्गीय महाराज नरेन्द्रसिंह राजपूत, निवासी टाईगर हिल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. संकल्प विल्ड एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड उदयपुर कम्पनी जरिये निदेशक पियूष मारू, निवासी 17, न्याय मार्ग, कोर्ट चौराहा, उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बड़गांव
दिनांक 28.06.2023 प्र.सं. 88/2021

———/———

उपस्थित :– 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

———::———

निर्णय **दिनांक 05–02–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मदार, तहसील बड़गांव में आराजी नंबर 4454 रकबा 6.0500 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें स्वर्गीय नारायण का 1/7 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। वादिया नारायण जी की एक मात्र पुत्री है तथा नारायण की पत्नी श्रीमती बसन्ती का नारायण के जीवनकाल में ही देहान्त दिनांक 04–09–1990 को चुका था तथा नारायण जी की भी दिनांक 23–12–2006 को मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त आराजी का अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु वादिया अपनी सुविधा अनुसार अपने हिस्से की भूमि का कृषि कार्य करती है, लेकिन प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि पर आधिपत्य करना चाहते हैं तथा वादिया को बेदखल करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:16 IST
Reason: SelfAttested

कोई अधिकार नहीं है। अतः विवादित आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर नारायण जी के हिस्से की भूमि का मौके पर नाप एवं सीमांकन अनुसार स्वतंत्र कब्जा वादिया को दिलाया जाकर राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा आदेश 6 नियम 17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/60 हिस्सा निहित है, जबकि वादिया ने वाद पत्र की कलम संख्या 3 में 1/7 हिस्सा होना अंकित किया है, जिसे सही किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी अधिवक्ता के अनापत्ति होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का आदेश 6 नियम 17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा दिनांक 17–01–2023 को वादिया का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिस पर वादिया अधिवक्ता द्वारा आपत्ति पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 26–06–2023 को उक्त आपत्ति खारिज कर दी तथा दिनांक 28–06–2023 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा यह अपील दिनांक 25–07–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट 1/60 हिस्से की विरासतन खातेदार थी एवं अपीलान्ट के उक्त कृत्यों का प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट जहां पहले से काबिज थी, अंतिम डिक्री में उसे उक्त हिस्सा दिया जाना चाहिए था, किन्तु पटवारी एवं तहसीलदार ने बिना मौके की तस्दीक किये अपने हिसाब से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया, जिसमें अपीलान्ट/वादिया की कोई स्वीकृति नहीं थी। विभाजन में वादिया को एक कोने में अविकसित भूमि दी ग[illegible]सी स्थिति में उक्त विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादिया को उसके काबिज हिस्से की भूमि दिलाये जाने का आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अंतिम डिक्री को विधि अनुसार बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में विवादित आराजी नंबर 4454 रकबा 6.0500 हैक्टर भूमि में वादिया/अपीलान्ट का 1/60 हिस्सा दर्ज है तथा विभाजन में उसे उसका 1/60 हिस्सा अर्थात 0.1008 हैक्टर भूमि दी गयी है जो पर्चा मौका के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार रोड़ से लगती हुई भूमि है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आराजी नंबर 4454 रकबा 6.0500 हैक्टर एक बहुत बड़ा रकबा है, जिसमें अपीलान्ट/वादिया का मात्र 1/60 हिस्सा है, जबकि शेष हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का है, ऐसी स्थिति में भूमि के कम से कम टुकड़े करने की दृष्टि से प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 को एक चक में रोड़ से लगती हुई भूमि दी गयी है तथा अपीलान्ट/वादिया को भी रोड़ से ही लगती हुई भूमि दी गयी है। अपीलान्ट का यह कथन की उसे उसके कब्जे की भूमि नहीं दी गयी है, उचित प्रकट नहीं होता है, क्योंकि अपीलान्ट/वादिया को भी रोड़ से लगती हुई भूमि ही दी गयी है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 28–06–2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:16 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

अनुराधा पुत्री नारायणलाल पत्नी भैरूलाल डांगी, नि.37, उदयनिवास, ग्राम लकड़वास तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **जान्हवी कुमारी पुत्री महाराज शक्तिसिंह राजपूत, निवासी टाईगर हिल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰....**58 / 2023**...व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बड़गांव**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....28.**.....माह.....**06**.....**.....2023**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05.**....माह.....**02...**.....सन् **2025** रूबरू.....**.पक्षकारान** व हाजरी....**श्री ओंकारलाल डांगी**...मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 28–06–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05.**.....माह.....**..02**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:16 IST
Reason: SelfAttested